

08/12/5

खण्ड पीठ

श्री हेमन्त कुमार गोरा, अध्यक्ष

टीकम चन्द बोहरा, सदस्य.....

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलेंट के निधन के पश्चात कार्यालय से रजिस्टर्ड ले-डी नोटिफ जारी किसे जा चुके हैं तथा लॉन्गिस्ट्रुका \* ले-डी. प्राइट एं अपीलेंट को बार-बार आवाजे ल गवायी जाने के बावजूद अपीलेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए हैं अतः प्रकरण को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली मैसल कुमार होकर दायित्व  
क्षमतर हो।

आदेश सुनाया गया।

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर